भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2793

उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

सहायक उपकरणों का वितरण

2793. श्री के. सुधाकरन:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 'एल्डरलाइन' (14567) में बार-बार होने वाली तकनीकी गड़बड़ियों और लंबे समय तक बंद रहने की जानकारी है, जिससे विशेषकर कन्नूर के निवासी प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा अवसंरचना के उन्नयन और इस टोल फ्री सेवा की 24/7 विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कन्नूर जिले में राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत सहायक उपकरण, जिन्हें उपकरण के प्रकार (जैसे डेन्चर, वॉकिंग स्टिक आदि) के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) के वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले रियायती/निःशुल्क सहायक उपकरणों की सूची में ग्लूकोमीटर और ब्लड प्रेशर मॉनीटर जैसे चिकित्सा नैदानिक उपकरणों को शामिल करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): केरल राज्य में सामाजिक न्याय निदेशालय, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्डरलाइन), (टोल फ्री नंबर 14657) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। इस निदेशालय ने सूचित किया है कि कन्नूर जिले सहित केरल राज्य में हेल्पलाइन संख्या 14567 पर बार-बार तकनीकी गड़बड़ियों या लंबे समय तक बंद रहने

का कोई मामला सामने नहीं आया है। हेल्पलाइन बिना किसी बड़ी तकनीकी रुकावटों के सुचारू रूप से काम कर रही है और इसका संचालन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य के कन्नूर जिले में कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया है। कन्नूर जिले में विगत तीन वर्षों के दौरान किसी भी लाभार्थी को कैंप मोड या वॉक-इन मोड के माध्यम से जीवन सहायक यंत्र प्रदान नहीं किए गए हैं।

(घ): राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए जीवन सहायक यंत्रों की सूची में ग्लूकोमीटर और ब्लड प्रेशर मॉनीटर जैसे चिकित्सा नैदानिक उपकरणों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

*****